

प्रेस विज्ञप्तिथाना सिधारीएक अदद तमंचा देशी .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अवैध कट्टा/ गांजा/शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर श्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ०नि० मिथलेश कुमार मय राहीगणों के साथ देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील होकर क्षेत्र में मामूर थे कि जारिये मुखबिर सूचना मिली कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति ग्राम बेलनाडीह हरिजन बस्ती की तरफ से पैदल आ रहा है जो अपने पास अवैध कट्टा लिया है मुखबिर को साथ लेकर अपने अपने मोटर साइकिल से बेलनाडीह नहर पुलिया के पास पहुंचकर अपनी अपनी मोटर साइकिलों को सड़क के किनारे खड़ी कर झाड़ झांखाड़ की आड़ में खड़े होकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे कि थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति पैदल आ रहा के तरफ मुखबिर ने इशारा कर बताया कि साहब यह वही व्यक्ति है जो पैदल आ रहा है और भलाई बुराई को देखते हुए हट- बढ गया कि पुलिस वाले सड़क पर आकर आ रहे व्यक्ति की तरफ बढ़ा गया कि पुलिस वालों को देखकर एकाएक पीछे मुड़कर तेज कदम से जाने लगा कि पुलिस वालों द्वारा आवाज देते हुए दौड़कर घेरकर पकड़ लिया गया , पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम कमरुद्दीन पुत्र स्व० अंसार अद ग्राम गौरीआना कटघरा थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछा गया तो बता रहा है कि साहब मेरे पास अवैध तमंचा व कारतूस है पकड़े जाने के भय से भाग रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। बरामद तमंचा कारतूस के बावत उससे कागजात तलब किये गये तो दिखाने से कासिर रहा, बरामद तमंचा कारतूस के बावत कागजात नहीं होने के कारण उसका यह कार्य 3/25 आर्म्स एक्ट का जुर्म है, लिहाजा उसे उसका अपराध बता कर समय करीब 07.00 बजे दिनांक 19.06.2021 बेलनाडीह नहर पुलिया के पास हिरासत में लेकर, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- 1. कमरुद्दीन पुत्र स्व० अंसार अद ग्राम गौरीआना कटघरा थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष ने बताया कि साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिये। अब ऐसा काम नहीं करेगे।

पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या

1- मु०अ०स० 137/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1- मु०अ०स० 294/19 धारा 41/411 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

2- मु०अ०स० 302/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

3-मु०अ०स० 313/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

बरामदगी

एक अदद तमंचा देशी .315 बोर

एक अदद कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त

अभि० कमरुद्दीन पुत्र स्व० अंसार अद ग्राम गौरीआना कटघरा थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र०नि० धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़

2. उ०नि० मिथलेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

3. हे०का० हे०का० विनोद सरोज थाना सिधारी आजमगढ़

4. कां० मनीष यादव थाना सिधारी आजमगढ़

थाना मुबारकपुरनाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 18.06.2021 को समय 15.28 बजे आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदिका लड़की को दिनांक 17.06.2021 को समय करीब 9.00 बजे रात्रि में जो घर के पड़ोस के शादी में गयी थी कि गाँव के जितेन्द्र सोनकर पुत्र झारखण्डी सोनकर ने आवेदिका लड़की को बहला-फुसलाकर वहाँ से कुछ दूरी पर ले जाकर छेड़खानी करने लगा इस पर आवेदिका की लड़की चिल्लाने लगी तो जितेन्द्र उपरोक्त वहाँ से भाग गया जब आवेदिका की लड़की घर आकर सभी परिवार वालों को सारी बात बतायी तो आवेदिका जितेन्द्र सोनकर के घर जाकर पूँछने लगे तब तक जितेन्द्र सोनकर व उसके परिवार के लोग भद्दी-2 गाली देने लगे गाली देने से मना किया तो उपरोक्त जान मारने की धमकी देने लगे। कि प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर की टीम को सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र सोनकर पुत्र झारखण्डी सोनकर सा० चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का जो कही भागने के फिराक में रोडवेज

चौराहा मुबारकपुर में खड़ा है सवारी गाड़ी का इन्तेजार कर रहा है , यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है कि सूचना पर विश्वास करके थाना मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा तत्परता करते हुए रोडवेज चौराहा पहुंचे जहां उक्त अभियोग का वांछित अभियुक्त जितेन्द्र सोनकर पुत्र झारखण्डी सोनकर उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक- 19.06.2021 समय प्रातः 08.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 127//2021 धारा- 354(ख),504,506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

1- जितेन्द्र सोनकर पुत्र झारखण्डी सोनकर सा0 चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**पूछताछ का विवरण –** अभियुक्त जितेन्द्र सोनकर पुत्र झारखण्डी सोनकर सा0 चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष पूछने पर जुर्म से इनकार करते हुए जरिए अधिवक्ता माननीय न्यायालय में सफाई देने को बता रहा है ।

#### **गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –**

1. उ0नि0 रत्नेश कुमार दुबे चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़

2. हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह , चौकी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़

### **थाना- जीयनपुर**

#### **एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक- 19.06.2021 को निरीक्षक अपराध दिनेश यादव मय राह का0 अतुल पाल,का0 देवव्रत वर्मा , म0आ0 पूजा यादव,म0आ0 शिवानी सिंह के द्वारा देखभाल क्षेत्र में मामुर थे कि जरिये मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 118/2021 धारा 147/148/149/151/152/153/186/323/504/506/336/353/332/333/307/308 /427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कंजरा मोड़ पर खड़ा है और कहीं भागने की फिराक में है इस सूचना पर विश्वास करके अपराध निरीक्षक मय राह कर्म0गण मय जीप सरकारी के मय मुखबिर के इमिलिया बाजार से प्रस्थान कर कंजरा मोड़ से थोड़ा पहले पहुँचकर गाड़ी को खड़ा किया जहाँ पर मुखबिर खास द्वारा इशारे से चौराहे के पास खड़े व्यक्ति को दिखाकर की यही वह अभियुक्त है। हटबढ़ गया कि पुलिस वालो द्वारा सिखलाये हुये तरीको से एक बारगी घेरकर उक्त व्यक्ति को पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रवि सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जिनका भागने का कारण पूछा गया तो बताये की साहब जो छपरा सुल्तानपुर में पुलिस से लडाई झगडा व रोड जाम हुआ था उसमें पुलिस मुझे तालश कर रही है। जिसमें मे पुलिस से बचाने हेतु अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था कि पता नहीं आप लोग कहा से आकर मुझे पकड लियो कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 06.30 बजे हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त जुर्म स्वीकार करते हुये अपनी गलती की माँफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में दिए जाने की बात बता रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- रवि सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह उर्फ सूपारी निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

#### **पंजीकृत अभियोग-**

1- 118/21 धारा 147/148/149/151/152/153/186/323/504/506/353/ 332/333/ 307/308/427 भादवि0 व 7 CLA Act

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. निरी0 अपराध दिनेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 अतुल पाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3. का0 देवव्रत वर्मा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

4. म0आ0 पूजा यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

5. म0आ0 शिवानी सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

## थाना-देवगांव

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध विशेष रूप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आजमगढ़ पुलिस को मिली सफलता---**

दिनांक 19.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव के नेतृत्व में उ0नि0 उमेश कुमार मय राह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि मु0अ0स0 109/2021 धारा 363/366 भादवि मे नामजद वांछित अभियुक्त (1) अंकित कुमार पुत्र त्रिभुवन नि0 कैथीशंकरपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ (2) आकाश सरोज पुत्र श्यामजीत नि0 मसीरपुर थाना देवगाँव नपद आजमगढ़ जिवली नहर पुलिया पर किसी वाहन से भागने के फिराक मे खडे है। यदि जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर के उ0नि0 उमेश कुमार मय राह के जिवली नहर पर पहुंचा तो दो व्यक्ति खडे दिखाई दिये पुलिस वाले को देखकर थाना बरदह की तरफ भागने लगे। राही कर्म0गण की मदद से भागते हुए व्यक्ति को 15- 20 कदम जाते जाते पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो (1) अंकित कुमार पुत्र त्रिभुवन नि0 कैथीशंकरपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ (2) आकाश सरोज पुत्र श्यामजीत नि0 मसीरपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ पकडे गये व्यक्तियों का गिरफ्तारी का कारण बता कर समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार किया जा रहा है।

### **अभियोग पंजीकृत-**

1- मु0अ0स0 109/2021 धारा 363/366 भादवि

गिरफ्तारी का स्थान- जिवली नहरथाना देवगांव आजमगढ़,

### **गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता--**

(1) अंकित कुमार पुत्र त्रिभुवन नि0 कैथीशंकरपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(2) आकाश सरोज पुत्र श्यामजीत नि0 मसीरपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

### **गिरफ्तार करने वाली टीम -**

(1) उ0नि0 उमेश कुमार थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(2) हे0का0 रामजन्म यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(3) हे0का0 अंगद सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

## थाना कोतवाली

### **हेरोईन व डेड किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ दो गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी नगर जनपद आजमगढ़ व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, आजमगढ़ के नेतृत्व में उ0नि0 कमल नयन दूबे राह के चौकी बलरामपुर पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक महिला व एक पुरुष बिलरिया की चुगी पर हिरोईन और गांजा बेच रहे है यदि शीघ्रता किया जाय तो पकडे जा सकते है , मुखबिर खास की इस सूचना पर पुलिस टीम को साथ लेकर उ.नि.कमल नयन दूबे मय राह पुलिस बल के साथ बिलरिया की चुगी पर आये जहा पर एक महिला जो पुडिया में हिरोईन बेच रही थी वहीं पास मे ही एक व्यक्ति ट्राईसाइकिल पर गाजा बेच रहा था कि क्षेत्राधिकारी सदर के समक्ष पुलिस टीम में मौजूद महिला आरक्षी के द्वारा तलाशी के दौरान महिला के पास से कुल 13 ग्राम हिरोईन बरामद हुआ जिसे वह पुडिया में रखकर बेचती थी वहीं ट्राईसाइकिल पर सवार पुरुष के कब्जे से 1.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ जिसे वह पुडिया में बेचना स्वीकार किया गया अभियुक्तगणों नियमानुसार कारण गिरफ्तारी बताकर समय 11.15 बजे बिलरिया की चुगी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. मनोज कुमार पुत्र पब्वर राम निवासी देवखरी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ हाल पता बिलरिया की चुगी थाना कोतवाली आजमगढ़

2. उषा प्रजापति पत्नी राजेन्द्र प्रजापति निवासी लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्तगणों से पूछताछ से बताये कि साहब एक दिव्यांग व्यक्ति लोगो को लाकर दे देता है लेकिन उसका नाम पता लोग नही जानते है , और इसी माल को लेकर पुडिया बनाकर बेचकर लोग अपना गुजर बशर करते है। इस प्रकार अपनी गलती को स्वीकार करते हुये बार- बार माफी मांग रहे है।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1- 181/21धारा 8/20/21थाना कोतवाली, आजमगढ़।

### **बरामदगी-**

1- 13 ग्राम हिरोईन व 1.5 किलोग्राम गांजा

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ.नि. कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर थाना कोतवाली, आजमगढ़,

2. उ.नि. शिवकुमार कुशवाहा थाना कोतवाली, आजमगढ़।

3. का. सोनू कुमार यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

4. का. अरुण कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़

5. का. इन्द्रजीत चौधरी थाना कोतवाली आजमगढ़

6. का. सुदीप कुमार यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

7. म.का. अल्का मिश्रा थाना कोतवाली आजमगढ़

8. म.का. मनीषा साहू थाना कोतवाली आजमगढ़

## थाना बिलरियागंज

### दहेज हत्या की 01 नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

**पुलिस अधीक्षक , जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.06.2021 को प्रभारी उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय राह तलाश वांछित /वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत नया चौक पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की सम्बन्धित मु0अ0सं0 30/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ की वांछित अभियुक्ता अनिता इस समय अपने घर पर आयी हैं कि थाना प्रभारी मय राह के प्रस्थान कर अभियुक्ता के घर बघैला पहुँचे अभियुक्ता अपने दरवाजे पर मौजूद मिली जिससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अनिता पुत्री इनरू यादव बताया नाम पता तस्दीक होने पर कारण गिरफ्तारी बताकर वजाफ्ता म0का0 के संरक्षण में समय करीब 10.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- अनिता पुत्री इनरू यादव निवासी बघैला थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 उपेन्द्र कुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 प्रमोद यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 अरविन्द कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. का0 रंजीत मद्धेशिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
6. म0का0 गीता देवी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

## थाना-गम्भीरपुर

### 15 गाय व 07 बैल कुल 22 राशि गोवंश व एक ट्रक बरामद

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानू प्रिया मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी करते हुए विन्दा बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक जिसमें प्रतिबन्धित जानवर लदे हैं जिन्हे बेचने हेतु कही ले जाया जा रहा है काफी दूर से इनका पीछा करते हुए आ रहा हूँ अभी गाडी थाना रानी की सराय की बार्डर को क्रास कर रही है जो आपके थाना क्षेत्र में पहुंचने वाली है ट्रक का नं0 UP62 T 8760 है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक मय हमराह कर्मचारी गण के तत्काल हाइवे के पास पहुंची तथा क्षेत्र में ड्यूटी में भ्रमणशील उ.नि. गण व कर्मचारीगणों को उक्त सूचना से अवगत कराते हुए तत्काल हाईवे पर पहुंचने के लिये बताया तथा SHO मय फोर्स के रानी की सराय साइड से आने वाली ट्रको का चेकिंग करने लगी तभी एक दस टायर लाल रंग की ट्रक नं0 UP62 T 8760 समय करीब 04.15 बजे के पास आती दिखाई दी जब हम पुलिस वालो द्वारा उक्त ट्रक को रोकने का इशारा किया गया तब ट्रक चालक द्वारा ट्रक की गति बढ़ाकर गोसाई की बाजार की तरफ भागने लगा जिसका पिछा करते हुए चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार को जरिये दुरभाष अवगत कराकर घेरा बंदी करने का निर्देश दिया प्र0नि0 मय फोर्स भाग रहे ट्रक का पिछा करते हुए गोमाडीह हाईवे के पास पहुंची तो सामने पुलिस की घेराबंदी को देखकर ट्रक चालक द्वारा ट्रक को रोककर उक्त ट्रक में चालक तथा बैठे तीन अन्य व्यक्ति ट्रक का दरवाजा खोलकर ट्रक से कुदकर भागने लगे हम पुलिस वालो का टीम भागने वाले व्यक्तियों के पकडने के लिये पिछा किया गया लेकिन अधेरा, बारीश का मौसम व दल दल जमीन का फायदा उठाकर उक्त चारो व्यक्ति भागने में सफल रहे इसी बीच मुखबिर खास मुझ प्रभारी निरीक्षक से आकर मिला और बताया कि साहब यह गाडी काफी दिनों से इसी काम को करने के लिये इस्तेमाल की जा रही है तथा मुझे यह आशंका है कि इस ट्रक में पशुओ को अतरौलिया क्षेत्र से लादा गया है आगे बताया कि साहब ट्रक सं0 UP62T 8760 के चालक के बारे में मेरे द्वारा पूर्व में जानने का प्रयास किया जा रहा था तो मुझे जानकारी मिली है कि इस ट्रक का चालक रितिक उर्फ चन्द्रशेखर यादव पुत्र दीनानाथ यादव ग्राम सद्दोपुर थान बक्सा जनपद जौनपुर है जो आज भी इसी ट्रक को चलाते हुए ट्रक में लदे पशुओ का बेचने के लिये कही ले जा रहा है ट्रक सं0 UP62T 8760 को मौके पर ही कब्जा पुलिस में लेकर प्राइवेट चालक का व्यवस्था करके थाना परिसर पर लाया गया उक्त ट्रक के डाले को खोलकर हमराह कर्मचारी के मदद से ट्रक के अन्दर घुसकर देखने पर कुल 22 राशी गाय व बैल निर्दयता पूर्वक मुंह एवं पैर बाधकर लादा गया है उक्त पशुओ को थाना प्रांगण में उचित स्थान पर उतारकर उनके उनके चारा पानी का व्यवस्था करके बाँधा गया है उक्त 22 राशि पशुओ में 15 राशि गाय एवं 07 राशि बैल जिन्दा मौजूद है।

#### पंजीकृत अभियोग.....

1- मु.अ.स. 122/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

#### बरामदगी:-

2- 15 राशि गाय व 07 राशि बैल कुल 22 राशि गोवंश

#### गिरफ्तार करने वाली टीम.....

ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मय हमराह  
उ.नि. शंकर कुमार यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मय हमराह  
उ.नि. अमरनाथ यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मय हमराह